न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/06/2025

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....प्रार्थी0

बनाम

1–उदयराम पुत्र प्यारे जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई गैर खातेदार

2–केशर पुत्री प्यारे जाति कोली साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई

3–गीता पुत्री प्यारे –**(मृतक)**

3/1–नरेन्द्र पुत्र स्व0 गीता जाति कोली
3/2–जगदीश पुत्र स्व0गीता जाति कोली
3/3–तुलसी पुत्र स्व0 गीता जाति कोली
} निवासी पटपरा मौहल्ला हनुमान कॉलोनी निवासी डीग जिला डीग

3/4–लक्ष्मी पत्नि किशोर पुत्री स्व0 गीता जाति कोली निवासी सुण्डायाना तहसील कठूमर जिला अलवर

3/5–पिंकी पत्नि लाखन पुत्री स्व0 गीता जाति कोली निवासी बीनारायण गेट के पास भरतपुर

4–जयपाल पुत्र निरंजन जाति कोली
5–जितेन्द्र पुत्र निरंजन जाति जाति कोली
6–ढकेली पत्नि निरंजन जाति कोली
7–देवीराम पुत्र प्यारे जाति कोली
8–नीतू पुत्री निंरजन जाति कोली, (अविवाहित फौत)
9–पिस्ता पुत्री निरंजन जाति कोली
10–रेखा पुत्री निंरजन जाति कोली,
11–सीमा पुत्री निरंजन जाति कोली
12–हरिप्रसाद पुत्र प्यारे जाति कोली
} साकिन टोहिला हाल आबाद नदबई

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू –आंबटन नियम 1970).

उपस्थित :–

पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निर्णय

दिनांक 19.9.2025

प्रार्थी तहसीलदार नदबई ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आंबटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है – जमांबदी संवत् 2073–76 ग्रांम अटारी तहसील के खाता संख्या 388 में आराजी खसरा नं0 2368/815 रकवा 0.1980 है0 बारानी 2, खसरा नम्बर 2369/815 रकवा 0.0120 है0 गै.मु.रास्ता पर अप्रार्थी उदयसिंह पुत्र प्यारे वगे. गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं. 815/0.21 है. का गत खसरा नं.1224 मि0 रकवा 17 विस्वा एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 अनुसार खसरा नं. 1224 मि. रकवा 17 विस्वा का साविक खसरा नं. 1063 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा है। दिनांक 29.09.1972 को आवंटन होने पर खसरा नं.1224 में रकवा 17 विस्वा का जरिये नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 10.9.1976 से प्यारे पुत्र बुद्धा कोम कोली सा.टोहिला गैर खातेदार दर्ज हुआ है। आवंटी प्यारे कोम कोली के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 10.12.2001 इसके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर खसरा नं. 815 पर आवंटी एवं इसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। केशव पुत्र हरभान जाति जाट नि. टोहिला रामकिशन पुत्र परमोली नि. अटारी का कब्जा काश्त है। आवंटी व उसके वारिसान का उक्त आराजी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटी एवं इसके वारिसान द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। मिसल सम्वत 2028 के अनुसार आवंटित भूमि की किस्म वक्त आवंटन चारागाह दर्ज रिकार्ड थी जो प्रतिवंधित श्रेणी में आती जिसका आवंटन नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त कर आराजी को किस्म चारागाह घोषित करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण व्यक्तिशः उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब देने से इन्कार करने पर बहस सुनी गई। वक्त बहस नियत तरीख को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी पेरोकार सरकार की वहस सुनी गई

प्रार्थी पेरोकार ने प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 2368/815 रकवा 0.1980 है0 तथा खसरा नम्बर 2369/815 रकवा 0.0120 है0 का आवंटी प्यारे पुत्र बुद्धा एवं उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी चारागाह थी और ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं जिनका आवंटन नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पैरोकार ने अन्त में प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थीगण का अपने पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं करना और वक्त बहस उपस्थित नहीं आना अप्रत्यक्ष रुप से यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी0 को तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 14(4) में प्रार्थी ने हाल आराजी खसरा नम्बर 2368/815 रकवा 0.1980 बारानी व 2369/815 रकवा गै.मु. रास्ता की भूमि किस्म पूर्व में चारागाह बताते हुये, उक्त पर किया गया आवंटन दिनांक 29.9.72 को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई है। पेरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज वगे. का अध्ययन किया गया। सत्यप्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 29.9.72 का अवलोकन किया गया, उक्त आवंटन आदेश में अन्य व्यक्तियों के साथ प्यारे पुत्र बुद्धा जाति जाटव को साविक आराजी खसरा नम्बर 1063 रकवा 1 बीघा 07 विस्वा किस्म चारागाह का आवंटन किया गया है। जरिये नामान्तकरण संख्या 14 तारीखी 10.9.76 से राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार आवंटी दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 14 तारीखी 10.9.76 के कॉलम संख्या 5 भूमि किस्म सिवायचक चारागाह दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0 2045 ग्रांम अटारी तहसील नदबई में विवादित गत आराजी खसरा 1224 की भूमि किस्म चारागाह दर्ज हैं। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 1224 से हाल खसरा नम्बर 815 बनाया जाना दर्शाया गया है। आवंटी प्यारे पुत्र बुद्धा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर उसके वारिसान का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 10.12.2001 से दर्ज राजस्व रिकार्ड किया गया है। मुताविक जमाबन्दी सं. 2073–2076 ग्रांम अटारी का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2368/815 रकवा 0.1980 बारानी एवं आराजी खसरा नम्बर 2369/815 रकवा 0.0120 गैर मुमकिन रास्ता पर आवंटी प्यारे पुत्र बुद्धा के वारिसान अप्रार्थी0 गैर खातेदार दर्ज हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2368/815 रकवा 0.1980 गत राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है तथा आराजी खसरा नम्बर 2369/815 रकवा 0.0120 गै.मु.रास्ता दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी गत राजस्व रिकार्ड के मुताविक चारागाह एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है। ऐसी भूमियॉ राजस्थान राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। चारागाह एवं गैर मुमकिन रास्ता का आवंटन धारा 16 में प्रतिबन्धित है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 प्रचलित कानून के विपरीत होने से क्रम संख्या 15 पर दर्ज आवंटी प्यारे पुत्र बुद्धा जाती कोली को किया गया आवंटन निरस्त योग्य रहता है। तथा आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम खोला गया नामान्तकरण 412 दिनांक 10.12.2001 भी स्वतः ही बेअसर होने से खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 में क्रम संख्या 15 पर दर्ज

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आवंटी स्व. प्यारे पुत्र बुद्धा जाती कोली निवासी टोहिला का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं स्व0 प्यारे पुत्र बुद्धा जाती कोली के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम खोला गया विरासतन नामान्तकरण संख्या 412 दिनांक 10.12.2001 निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी पर पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताविक भूमि किस्म दर्ज की जावे। निणर्य की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर